IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

04 अप्रैल, 2022

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir/Madam,

Notice of Postal Ballot

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Postal Ballot Notice dated March 30, 2022 together with the explanatory statement being issued to the Members of the Bank for approval of the Special businesses mentioned in the Notice by means of electronic voting (remote e-voting) in compliance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities & Exchange Board of India ("SEBI") in this regard.

The Postal Ballot Notice is being sent to all the members whose names appear in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and Kfin Technologies Limited ("Kfintech") and who have registered their email addresses with NSDL, CDSL and/or Kfintech as on March 25, 2022 (the cut-off date).

The remote e-voting on the resolutions set out in the Postal Ballot Notice shall commence on Wednesday, April 06, 2022 at 9:00 AM IST and ends on Thursday, May 05, 2022 at 5.00 PM IST. The result of the Postal Ballot shall be declared within two working days from conclusion of the remote voting i.e on or before May 07, 2022.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीया,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

ज्योति
4/4/2022
[ज्योति नायर]
कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005
फोन-(022) 66552711 / 3147
ईमेल - idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट-www.idbibank.in

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य (सदस्यों),

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2021 को जारी सामान्य परिपत्र व कोविड-19 संबंधित छूटों पर जारी पिछले परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित एवं कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, साथ ही सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा महासभाओं पर जारी किए गए सचिवीय मानक ("एसएस-2") तथा वर्तमान में लागू व समय-समय पर यथा-संशोधित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), भिन्नता(ओं) या पुनरधिनियमन सहित) के संबंध में इस सूचना में नीचे दिए गए विशेष कारोबारों का आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान के जरिए अनुमोदन करने का प्रस्ताव किया जाता है.

उक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रही है जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत हैं. सदस्यों की सहमति या असहमति का सम्प्रेषण रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा.

विशेष कारोबार

मद सं. 1: श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594) की बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(ii) के अनुसरण में तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी और 35बी के प्रासंगिक प्रावधानों और यथा संशोधित अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) व अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1), 196, 203 और अनुसूची V के यथा संशोधित प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों (अधिनियम) और कोई अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), परिवर्तन (नों), पुनरधिनियमन (नों) सहित) के अनुसरण में तथा बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594) की अनावर्ती निदेशक व बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2022 के पत्र द्वारा अनुमोदित किए अनुसार 19 मार्च 2022 से 3 वर्ष (तीन वर्ष) के लिए प्रभावी पुनर्नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए और एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अधिनियम के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (किसी भी वैधानिक संशोधन या तत्कालीन समय के लिए पुन: अधिनियमन सहित) तथा आरबीआई द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों तथा एनआरसी और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594) को 19 मार्च 2022 से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में प्रभावी वेतन, भत्ते और अनुलाभ के रूप में रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन निम्नानुसार पारिश्रमिक के भुगतान को अनुमोदित किया जाए और एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है:

वेतन: वित्त वर्ष 2022-23 के लगभग रु. 2,40,00,000 तक, जिसका आरबीआई द्वारा अनुमोदन किया जाना है.

IDBI BANK

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005,
Phone-(022) 66552711 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and the previous circulars on COVID-19 related relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) applicable in this regard ("MCA Circulars"), applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force, and as amended from time to time), the special businesses given below in this notice is proposed for approval of the members of IDBI Bank Ltd. to be transacted through Postal Ballot only by way of voting through electronic means.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, this Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Bank/Depositories. The communication of assent or dissent of the Members would only take place through the remote e-voting system.

Special Business

Item No. 1: Re-appointment of Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594) as MD & CEO of the Bank

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Article 116(1)(ii) of the Articles of Association of the Bank, relevant provisions of Section 10B and 35B and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949, as amended and the rules, guidelines and circulars as issued by the Reserve Bank of India (RBI) in this regard, from time to time, provisions of Sections 160(1), 196, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 as amended, read with the relevant rules made thereunder (the Act) and Regulation 17(1C) and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and pursuant to recommendation by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors of the Bank, approval of members of the Bank, be and is hereby accorded to the Re-appointment of Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594) as a Non-Rotational Director and Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) of the Bank for a period of 3 years (three years) with effect from March 19, 2022 as approved by the RBI vide their letter dated February 15, 2022."

"**RESOLVED FURTHER THAT** subject to the applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder, The Banking Regulation Act, 1949 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and rules, guidelines and circulars issued by the RBI, and pursuant to the recommendation of the NRC and the Board of Directors of the Bank, approval of the Members of the Bank, be and is hereby accorded to the payment of remuneration by way of salary, allowances and perquisites to Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594), as the MD & CEO of the Bank w.e.f. March 19, 2022, subject to the approval of RBI, detailed as under:

Salary: Upto Rs. 2,40,00,000 approximately for FY 2022-23, to be approved by the RBI.

अनुलाभ: अनुलाभ (आयकर नियमों के अनुसार मूल्यांकन, जहां कहीं लागू हो, और अन्य मामलों में बैंक को वास्तविक लागत पर) जैसे कि बैंक का अर्ध सुसज्जित आवास, क्लब सदस्यता, कार्यालयीन उद्देश्य हेतु कार, मनोरंजन व्यय, आयकर अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बैंक द्वारा अनुलाभों पर आयकर का भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी और छुट्टी यात्रा रियायत, भविष्य निधि, वार्षिकी नीति और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, जोकि समय-समय पर लागू योजना (योजनाओं) और नियम (नियमों) के अनुसार होंगे. वेतन और अनुलाभों में किसी भी संशोधन की सिफारिश एनआरसी और बोर्ड द्वारा की जाएगी और यह आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होगा.

स्टॉक विकल्प और परिवर्तनीय वेतन: एनआरसी और बोर्ड द्वारा तय किए अनुसार एवं आरबीआई के अनुमोदन के अधीन.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड या उसकी किसी भी समिति को श्री राकेश शर्मा को उनके कार्यकाल के दौरान बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में देय पारिश्रमिक को समय-समय पर आरबीआई के अनुमोदन के अधीन संशोधित करने के लिए अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को बैंक के किसी भी अधिकारी (यों) को अपने अधिकार प्रत्यायोजित करने सहित किसी भी अपेक्षित या आवश्यक समझे जाने वाले या प्रासंगिक ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

मद सं. 2: श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754) की एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 116(1) (iv) और (vii) तथा इसके साथ पठित इसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों के अनुपालन में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशा-निर्देशों और परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों तथा कोई अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), परिवर्तन (नों), पुनरधिनियमन (नों) सहित) के अनुसरण में तथा बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार एतद्द्वारा श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754) की बैंक के बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए और एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है."

मद सं. 3: श्री टी.एन. मनोहरन (डीआईएन: 01186248) की बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150 और 152 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू प्रावधान व उसके तहत बनाए गए नियमों और समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के प्रावधानों और बैंक के संस्था-अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1) (vi) के अनुसरण में श्री टी एन मनोहरन (डीआईएन: 01186248), जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और निदेशक मंडल की सिफारिश पर संस्था-अंतर्नियमों के अनुच्छेद 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के तहत आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में 24 फरवरी 2022 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जिनका ऐसे निदेशक के रूप में बने रहने का कार्यकाल आगामी महासभा में समाप्त हो रहा है और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत बैंक के निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी को दर्शाने वाला एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिनके बारे में एनआरसी और निदेशक मंडल ने बैंक के बोर्ड में 24 फरवरी 2022 से लगातार 4 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करने व आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी न होने वाले एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है, की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

मद सं. 4: बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री समरेश परिदा (डीआईएन: 01853823) की पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

Perquisites: Perquisites (evaluated as per Income-tax Rules, wherever applicable, and at actual cost to the Bank in other cases) such as the benefit of the Bank's semi-furnished accommodation, club membership, car for official purpose, entertainment expenses, payment of income-tax on perquisites by the Bank to the extent permissible under the Income-tax Act, 1961 and rules framed thereunder, medical reimbursement, leave and leave fare concession, provident fund, gratuity, annuity policy and other retirement benefits, in accordance with the scheme(s) and rule(s) applicable from time to time. Any revision, in salary and perquisites shall be recommended by the NRC & Board and subject to RBI approval.

Stock Options & Variable Pay: As may be decided by the NRC & Board and subject to RBI approval.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board or any Committee thereof, be and is hereby authorised to revise the remuneration payable to Shri Rakesh Sharma, during his tenure as MD & CEO of the Bank, subject to the approval of RBI, from time to time."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

Item No. 2: Appointment of Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN: 06638754) as LIC Nominee Director

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT in compliance of Article 116(1) (iv) & (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder, Section 10A and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India, in this regard, from time to time, the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of NRC and Board of Directors, approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN: 06638754) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. February 10, 2022."

Item No. 3: Appointment of Shri T. N. Manoharan (DIN: 01186248) as Independent Director of the Bank

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Sections 149, 150 and 152 read with Schedule IV and any other applicable provision of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, as amended from time to time, provisions of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri T. N. Manoharan (DIN: 01186248), who on recommendation of Nomination & Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors, was appointed as an Additional Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. February 24, 2022 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who would cease to be such Director on the date of the ensuing General Meeting and in respect of whom, a notice was received under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director of the Bank and on recommendation of the NRC and Board of Directors be and is hereby appointed as an Independent Director on the Board of the Bank and not liable to retire by rotation to hold office for a term of 4 consecutive years w.e.f. February 24, 2022."

Item No.4: Re-appointment of Shri Samaresh Parida (DIN: 01853823) as Independent Director of the Bank

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150 और 152 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू प्रावधान व उसके तहत बनाए गए नियमों और समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के प्रावधानों और बैंक के संस्था-अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(vi) के अनुसरण में श्री समरेश परिदा (डीआईएन: 01853823), जिन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में 19 मई 2018 से लगातार 4 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जो 18 मई 2022 को अपना प्रारंभिक कार्यकाल पूरा करेंगे तथा जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार पात्र होने और अपनी सहमति देने के बाद एनआरसी और निदेशक मंडल ने जिनकी सिफारिश की है, को बैंक के बोर्ड में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी न होने वाले एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 19 मई 2022 से प्रभावी लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जाए और एतदद्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है."

मद सं. 5: बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री जंबुनाथन नारायणन (डीआईएन: 05126421) की पुनर्नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150 और 152 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू प्रावधान व उसके तहत बनाए गए नियमों और समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए के प्रावधानों और बैंक के संस्था-अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(vi) के अनुसरण में श्री जंबुनाथन नारायणन (डीआईएन: 05126421), जिन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में 19 मई 2018 से लगातार 4 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जो 18 मई 2022 को अपना प्रारंभिक कार्यकाल पूरा करेंगे तथा जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार पात्र होने और अपनी सहमति देने के बाद एनआरसी और निदेशक मंडल ने जिनकी सिफारिश की है, को बैंक के बोर्ड में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी न होने वाले स्वतंत्र निदेशक के रूप में 19 मई 2022 से प्रभावी लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जाए और एतदद्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है."

मद सं. 6: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ तात्विक सहबद्धता पक्ष लेनदेन की स्वीकृति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों (किसी भी संशोधन (संशोधनों), सांविधिक आशोधन (संशोधनों) अथवा उनके तात्कालिक पुनरधिनियमनों सहित) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है तथा इस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/गठन की जाने वाली कोई भी समिति (समितियां) शामिल है) को बैंक के एक सहबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेन की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हो अथवा साथ-साथ किए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पूरा करने और/ या जारी रखने की पुष्टि करते हैं तथा इसके लिए अनुमोदन भी प्रदान करते हैं:

1) एलआईसी में चालू खाता जमा या सावधि जमा ("जमा") और उस पर ब्याज सहित जमा (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से);
2) बैंक की संबंधित नीतियों और प्रयोज्य विधि के तहत अनुमत शर्तों और मानदंडों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि आदि सहित) पर एलआईसी को अनुमत राशि तक किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधा अथवा किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधा तथा/ अथवा गारंटी, साख पत्र अथवा गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करना; तथा
3) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज और उसकी मोचन राशि का भुगतान
4) बीमा उत्पादों और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन
5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा/ अथवा बैंक/ इसकी सहायक कंपनियों को निम्न कार्य के लिए अन्य

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Sections 149, 150 and 152 read with Schedule IV and any other applicable provision of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, as amended from time to time, provisions of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Samaresh Parida (DIN: 01853823), who was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2018 and who would be completing his initial term on May 18, 2022 and in terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013, who, being eligible and having given his consent and on recommendation of the NRC and Board of Directors, be and is hereby re-appointed as an Independent Director on the Board of the Bank, not liable to retire by rotation, for the second term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2022."

Item No. 5: Re-appointment of Shri Jambunathan Narayanan (DIN: 05126421) as Independent Director of the Bank

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Sections 149, 150 and 152 read with Schedule IV and any other applicable provision of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015, as amended from time to time, provisions of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Jambunathan Narayanan (DIN: 05126421), who was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2018 and who would be completing his initial term on May 18, 2022 and in terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013, who, being eligible and having given his consent and on recommendation of the NRC and Board of Directors, be and is hereby re-appointed as an Independent Director on the Board of the Bank, not liable to retire by rotation, for the second term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2022."

Item No. 6: Approval of Material Related Party Transaction with Life Insurance Corporation of India (LIC)

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby ratify and also accord further approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the Financial Year 2022-23 with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

1) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits ("Deposits") from LIC and interest thereon;
2) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned upto an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank; and
3) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof.
4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business
5) Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources /services from/ to LIC, against the consideration agreed

लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/ सेवाओं का हस्तांतरण: (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं, बीमा सेवाओं, परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क, अनुबंध शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से प्राप्त अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किया गया व्यय करने के लिए.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस तरह के अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन, चाहे व्यक्तिगत रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, रु. 1,000 करोड़ से अथवा बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से (इनमे से जो भी कम हो) अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का प्रमुख हिस्सा हों, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र और समान स्तर के पक्षकार से तथा बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्द्वारा इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड (इस पद के अंतर्गत बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ गठित की गई या इसके बाद गठित की जाने वाली समिति शामिल है) द्वारा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएँ तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी (रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए सभी या किसी शक्ति का प्रत्यायोजन करने की पुष्टि करते हैं और अनुमोदन करते हैं."

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

ज्योति बीजू नायर
कंपनी सचिव
सदस्यता सं : ए 20554

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 मार्च 2022

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई 400 005

upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank for the financial year 2022-23

notwithstanding the fact that such contracts / arrangements / transactions during Financial Year 2022-23, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby ratify as also accord further approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Jyothi Biju Nair
Company Secretary
Membership No. : A20554

Place: Mumbai
Date : March 30, 2022

Registered Office:
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005.

टिप्पणियां:

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट विशेष कारोबार के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- एमसीए परिपत्रों के अनुसार बैंक यह डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज रहा है. तदनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति का संप्रेषण रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगा.
- यह डाक मतपत्र सूचना केवल बैंक के ऐसे सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 (कट-ऑफ तारीख) को प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में हैं. कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें इस डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए. डाक मतपत्र सूचना उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, जिन्होंने बैंक/ डिपॉजिटरी/ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत कराए हैं. यह बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (KFintech/RTA) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगी.
- कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 और संबंधित एमसीए परिपत्रों के अनुसार, इस डाक मतपत्र सूचना में निहित विशेष व्यवसायों की मद को पोस्टल बैलेट - रिमोट ई-वोटिंग द्वारा ही पारित किया जाना है.

NOTES:

- The Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the special businesses specified in the Postal Ballot Notice is annexed hereto.
- In accordance with the MCA Circulars, the Bank is sending this Postal Ballot Notice in electronic form only. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.
- The Postal Ballot Notice is being sent via email only to the Members of the Bank, whose names appear on the Register of Members/list of Beneficial Owners, as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on Friday, 25th March, 2022 the cut-off date. Any person, who is not a Member as on the cut-off date, should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only. The Postal Ballot Notice is sent electronically to all the shareholders who have registered their email addresses with the Bank/Depositories/Registrar and Transfer Agent (RTA). The same will also be available on the Bank's website www.idbibank.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited (KFintech/RTA) at https://evoting.kfintech.com
- In terms of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and the relevant MCA

- सदस्यों के वोटिंग अधिकार 25 मार्च 2022 की कट-ऑफ तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार प्रदान किए गए वोटिंग कैप प्रतिबंधों के अधीन होंगे.
- बैंक इलेक्ट्रोनिक पद्धति से अपने मतदान करने की इच्छा रखने वाले सदस्यों के लिए केफ़िंटेक की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है. ई-वोटिंग सुविधा **बुधवार, 06 अप्रैल 2022 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयनुसार) से शुरू होगी और गुरुवार, 05 मई 2022 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयनुसार) बंद कर दी जाएगी.** सदस्यों द्वारा संकल्प पर एक बार अपना मतदान किए जाने के बाद इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र मतदान संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की सुश्री अपर्णा गाडगिल और उनके न आने की स्थिति में श्री विश्वनाथन एन. एस. को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- डाक मतपत्र के परिणाम एमडी एवं सीईओ द्वारा दिनांक 07 मई 2022 को या उससे पहले घोषित कर दिए जाएंगे तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार केफ़िंटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
- संकल्प यदि अपेक्षित संख्या बल से अनुमोदित हो जाता है तो इसे 05 मई 2022 को पारित माना जाएगा जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख है.

क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश

1. <u>वैयक्तिक शेयरधारक जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं</u>

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की रही ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति होगी. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खाते में मोबाइल नंबर और ईमेल पते अद्यतन करें.

डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति, जैसाकि डिपॉजिटरियों द्वारा सूचित किया गया है, नीचे दी जा रही है :

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. यूजर जो एनएसडीएल की IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं : i. ब्राउज़र में टाइप करें/ई-सर्विस लिंक पर क्लिक करें: https:// eservices.nsdl.com ii. IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत 'Beneficial Owner' पर क्लिक करें. iii. एक नया पेज खुलेगा. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करें. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद 'Value Added Services' के अंतर्गत 'Access to e-Voting' पर क्लिक करें iv. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles' ऑप्शन पर क्लिक करें. v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.	**1. यूजर जो सीडीएसएल की Easi/Easiest सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं :** i. ब्राउज़र में टाइप करें/निम्नलिखित में से किसी भी लिंक पर क्लिक करें : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com ii. New System Myeasi पर क्लिक करें / Quick Login के अंतर्गत My Easi ऑप्शन लॉगिन करें. iii. Easi/Easiest एक्सेस के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करें. iv. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत देने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.
2. यूजर जो एनएसडीएल की IDeAS ई-सर्विस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं : i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में निम्नलिखित कोई भी ई-सर्विस	**2. यूजर जो सीडीएसएल की Easi/Easiest सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं :** i. पंजीकरण के लिए ब्राउज़र में

Circulars, the Item of Special Businesses set out in this Postal Ballot Notice is sought to be passed by Postal Ballot – remote e-voting only.

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of March 25, 2022 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949
- The Bank is providing KFintech's e-voting facility to enable those Members who wish to cast their votes electronically. The e-voting commences on **Wednesday, 6th April, 2022 at 9:00 AM IST and ends on Thursday, 5th May, 2022 at 5.00 PM IST.** Once the vote on the Resolutions is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil and in her absence Mr. Viswanathan N. S. of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by MD & CEO on or before May 07, 2022 and will be displayed on the Bank's website at www.idbibank.in and shall also be displayed on the website of KFintech at https://evoting.kfintech.com in terms of Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.
- The resolutions, if approved by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on May 5, 2022 i.e., the last date specified for remote e-voting.

a) PROCEDURE AND INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING:

I. <u>FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SECURITIES IN DEMAT</u>

In terms of the SEBI circular dated 9th December, 2020 on e-voting facility provided by listed companies, Individual shareholders holding shares of the Bank in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Login method for Individual shareholders holding shares in demat mode, as devised by the Depositories, is given below:

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility of NSDL: i. Type in the browser / click on the e-Services link: https:// eservices.nsdl.com ii. Click on the 'Beneficial Owner' icon under 'IDeAS' section. iii. A new page will open. Enter your User ID and Password. Post successful authentication, click on 'Access to e-Voting' under 'Value Added Services'. iv. Click on 'Active E-Voting Cycles' option under e-Voting. v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider (KFintech) and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. KFintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.	**1. User already registered for Easi/Easiest facility of CDSL:** I. Type in the browser / click on any of the following links: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com ii. Click on New System Myeasi / Login to My Easi option under Quick Login. iii. Enter your User ID and Password for assessing Easi / Easiest. iv. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('KFintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. KFintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.
2. User not registered for IDeAS e-Services facility of NSDL: i. To register type in the browser /click on, any of the	**2. User not registered for Easi/Easiest facility of CDSL:** i. To register type in the browser /click on the

एनएसडीएल	सीडीएसएल
लिंक टाइप करें/ किसी भी पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp' ii. Register Online for IDeAS' सिलेक्ट करें. iii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें. iv. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.	निम्नलिखित टाइप करें/ इस लिंक पर क्लिक करें : :https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration ii. अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्योरे प्रदान करते हुए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें. iii. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, अपना मतदान करने के लिए उपर्युक्त पैरा 1 के अंतर्गत उल्लिखित चरणों का पालन करें.
3. विकल्प के तौर पर, यूज़र सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं : i. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इस पर क्लिक करें : https://www.evoting.nsdl.com ii. Shareholder/Member' सेक्शन में उपलब्ध आइकॉन 'Login' पर क्लिक करें. iii. यूजर आईडी (अर्थात IN के साथ शुरू होने वाले एनएसडीएल के पास धारित 16 अंकीय डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार सत्यापन कोड इंटर करें. iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल वेबसाइट के ई-वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. v. ई-वोटिंग के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' ऑप्शन पर क्लिक करें. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.	**3. विकल्प के तौर पर, यूजर सीधे सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं :** i. ब्राउज़र में निम्नलिखित लिंक टाइप करें/ इन पर क्लिक करें : www.cdslindia.com. ii. E-Voting पर क्लिक करें तथा अपने डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन इंटर करें. iii. सिस्टम डीमैट खाते में उपलब्ध कराए गए अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर को अधिप्रमाणित करेगा. iv. सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप सीएसडीएल के ई-वोटिंग मॉड्यूल को इंटर करेंगे. v. आईडीबीआई बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता ('केफिंटेक') पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने के लिए सेवा प्रदाता, अर्थात केफ़िंटेक के वोटिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे. अब आप बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान कर सकते है.

शेयरधारक जो यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव करने में असमर्थ हैं उनको सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध ऑप्शन Forget User ID and Forget Password का उपयोग करें.

एनएसडीएल से संपर्क करने के ब्योरे –शेयरधारक को किसी तकनीकी समस्या के मामले में :	सीडीएसएल से संपर्क करने के ब्योरे –शेयरधारक को किसी तकनीकी समस्या के मामले में :
लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य अपना अनुरोध evoting @nsdl.co.in पर भेज कर या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 या 1800 22 44 30 कॉल कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते है.	लॉगिन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य अपना अनुरोध सीडीएसएल हेल्पडेस्क को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजें या 022- 23058738 अथवा 022- 23058542-43 पर कॉल कर संपर्क करें. डीमैट खाते रिकॉर्ड किए गए अनुसार ईमेल.

अपने डीमैट खाते/डिपॉज़िटरी सहभागियों के वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने के लिए वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमैट रूप में शेयर रखने वाले) हेतु प्रक्रिया

i. आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागियों के माध्यम से अपने डीमैट खातें के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए लॉगिन कर सकते हैं.
ii. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग ऑप्शन देख पाएंगे. एक बार e-voting ऑप्शन पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद आप

NSDL	CDSL
following e-Service link: https://eservices.nsdl.com Or https : // eservices. nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp ii. Select 'Register Online for IDeAS' iii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details. iv. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.	following link: https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration ii. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details. iii. After successful registration, follow the steps mentioned under Para 1 above to cast your vote.
3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of NSDL: i. Type in the browser /click on the following link: https://www.evoting.nsdl.com ii. Click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholder/Member' section. iii. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL starting with IN), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. iv. Post successful authentication, you will be redirected to e-Voting page on NSDL website. v. Click on 'Active E-Voting Cycles / VC or OAVMs' option under e-Voting. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('KFintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. KFintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.	**3. Alternatively, User may directly access the e-Voting website of CDSL:** i. Type in the browser /click on the following link: www.cdslindia.com. ii. Click on E-Voting and enter your DP ID & Client ID and PAN. iii. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. iv. After successful authentication, you will enter e-voting module of CDSL. v. Click against IDBI Bank's name or e-Voting service provider ('KFintech') and you will be re-directed to e-Voting page of service provider i.e. KFintech for casting the vote during the remote e-Voting period. You can now cast your vote without any further authentication.

Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.

Contact details of NSDL – In case shareholders face any technical issue:	Contact details of CDSL – In case shareholders face any technical issue :
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43 Email as recorded in the demat Account.

Procedure for Individual Shareholders (holding securities in demat mode) to login through their demat accounts / website of their Depository Participants

i. You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility.
ii. After successful login, you will be able to see e-voting option. Once you click on e-voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL depository site after successful authentication, wherein you can see e-voting feature.

एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉज़िटरी साइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आपको ई-वोटिंग फीचर दिखाई पड़ेगा.

iii. बैंक के नाम पर या ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता के नाम पर क्लिक करें तथा इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान बिना किसी और अधिप्रमाणन के अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

II. गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

गैर वैयक्तिक शेयरधारक तथा भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है :

यदि शेयरधारक आईडीबीआई बैंक/केफ़िंटेक से ईमेल प्राप्त करते हैं [उन शेयरधारकों के लिए जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉज़िटरी सहभागियों के पास पंजीकृत हैं] :

i. यूआरएल : https:// evoting.kfintech.com टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउजर लांच करें.

ii. ईमेल पत्राचार में उल्लेख किए गए अनुसार लॉगिन क्रेडेंशियल (अर्थात यूजर-आईडी और पासवर्ड) इंटर करें. ई-वोटिंग इवेंट नंबर और आपका फोलियो नंबर या आपका डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी आपका यूजर-आईडी होगा.
यूजर-आईडी : डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए
एनएसडीएल के लिए : IN से शुरू 8 कैरेक्टर वाला डीपी आईडी तथा उसके बाद 8 अंकीय क्लाइंट आईडी.
सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी.
यूजर-आईडी : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए
ईवेन नंबर तथा उसके बाद आईडीबीआई बैंक /आरटीए के पास पंजीकृत फोलियो नंबर.
पासवर्ड : आपका यूनिक पासवर्ड इलेकट्रोनिक नोटिस के साथ ईमेल द्वारा भेजा जाता है.
कैप्चा : कृपया सत्यापन कोड इंटर करें, अर्थात सुरक्षा कारणों से अक्षर और संख्याएँ ठीक उसी रूप में जैसाकि वे प्रदर्शित की गई हैं.

iii. उपयुक्त रूप से ये ब्योरे इंटर करने के बाद 'LOGIN' पर क्लिक करें.

iv. यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो तो अब आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंचेगे जहां आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड चेंज करना होगा. नया पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z)एक न्यूमेरिक वैल्यू (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर (@, #, $, आदि) होंगे. पहली बार लॉगिन करने पर सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने तथा अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जैसे ब्योरे अद्यतन करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.
पासवर्ड भूल जाने कि स्थिति में उसे फिर से रिट्रीव करने के लिए आप अपने पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी इंटर कर सकते हैं. यह पुरज़ोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें तथा अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

v. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करने की जरूरत है.

vi. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद सिस्टम आपको ई-वोटिंग इवेंट नंबर 'EVEN', अर्थात IDBI Bank चुनने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा.

vii. वोटिंग पेज पर आप संकल्प संबंधी विवरण देख पाएंगे और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' ऑप्शन रहेगा. 'FOR / AGAINST' के अंतर्गत यथा कट ऑफ तारीख को शेयरों की संख्या (जो आपके मतदान की संख्या प्रदर्शित करती है) इंटर करें या विकल्प के तौर पर आप 'FOR' के लिए कोई भी आंशिक नंबर और 'AGAINST' के लिए कोई भी आंशिक नंबर इंटर कर सकते हैं, लेकिन 'FOR / AGAINST' के लिए कुल संख्या मिल कर कट ऑफ तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' का विकल्प भी चुन सकते हैं. यदि शेयरधारक 'FOR' या 'AGAINST' में से कोई भी नहीं चुनते हैं तो इसे 'ABSTAIN' माना जाएगा और धारित शेयरों को दोनों में से किसी भी हेड के अंतर्गत नहीं माना जाएगा.

viii. एकाधिक फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग-अलग वोटिंग प्रक्रिया को चुनेंगे.

ix. इसके बाद आप उपयुक्त ऑप्शन चुन कर अपना वोट दें तथा 'Submit' पर क्लिक करें.

x. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान, संकल्प पर वोट करने के पहले तक शेयरधारक कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं.
कट ऑफ तारीख को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले कोई व्यक्ति और गैर वैयक्तिक सदस्य evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन

iii. Click on the Bank's name or e-voting service provider's name and you will be redirected to e-voting service provider's website for casting your vote during the remote e-voting period without any further authentication.

II. FOR NON-INDIVIDUAL SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM

Login method for non-individual shareholders and shareholders holding shares in physical form are given below:

In case a shareholder receives an e-mail from IDBI Bank / KFintech [for shareholders whose e-mail addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s)]:

i. Launch internet browser by typing the URL: https:// evoting.kfintech.com.

ii. Enter the login credentials (i.e., user-id and password) mentioned in the email communication. The e-Voting Event Number and your Folio Number or your DP ID - Client ID will be your User- ID.
User- ID: For shareholders holding shares in Demat form:
For NSDL: 8 Character DP ID starting with IN followed by 8 Digits Client ID for CDSL: 16 digits beneficiary ID
User-ID: For shareholders holding shares in Physical Form:
EVEN number followed by Folio No. registered with IDBI Bank / RTA.
Password: Your unique password is sent via e-mail forwarded through the electronic notice.
Captcha: Please enter the verification code i.e. the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii. After entering these details appropriately, Click on 'LOGIN'.

iv. If you are logging in for the first time, you will now reach password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, $, etc.). The system will prompt you to change your password and update your contact details like mobile number, email ID, etc. on first login.
You may also enter a secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and that you take utmost care to keep your password confidential.

v. You need to login again with the new credentials.

vi. On successful login, the system will prompt you to select the E-Voting Event Number 'EVEN' i.e., IDBI Bank.

vii. On the voting page you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR / AGAINST / ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents the number of votes) as on the cut-off date under 'FOR / AGAINST' or alternatively, you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST' but the total number in 'FOR / AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN'. If the shareholder does not indicate either 'FOR' or 'AGAINST' it will be treated as 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

viii. Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folios / demat accounts.

ix. You may then cast your vote by selecting an appropriate option and click on 'Submit'.

x. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution(s).
Any person holding shares in physical form and non-individual members as on the cut-off date, may obtain the login ID and

आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग के लिए केफ़िंटेक के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो वे अपने वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान के लिए कर सकते हैं/कर सकती हैं.

अपना मतदान करने के लिए II (i से x) में दिए गए अनुदेश का अनुसरण करें.

III. संकल्प पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों को सामान्य अनुदेश/जानकारी

i. कॉर्पोरेट/संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की सत्यापित स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट) scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति einward.ris@kfintech.com और idbiequity@idbi.co.in को भेजें.

ii. किसी पूछताछ के मामले में कृपया 'Downloads' सेक्शन में ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध 'Help' और 'Frequently Asked Questions' (FAQs) सेक्शन/E-voting user manual देखें जो आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें. ई-वोटिंग से संबन्धित किसी भी शिकायत को श्री एस. वी. राजू, उप महा प्रबन्धक को ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com या evoting@kfintech.com को भेज सकते हैं.

iii. डाक मतपत्र की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर कागजी स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ठ और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.
2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप उपर्युक्त टेबल में बताई पद्धति से लॉगिन करें.
3. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2), जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए einward.ris@kfintech.com पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

1. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों, जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी ईमेल-आईडी(यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.
2. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी /डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन और शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खातें में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.
3. दिनांक 3 नवंबर 2021 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार, सेबी ने आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने की शर्तों को प्रोसेस करने के लिए सामान्य और सरलीकृत शर्तें निर्धारित की हैं. संबंधित प्रपत्रों के साथ उक्त परिपत्रों की प्रतियां आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट **https://www.idbibank.in/idbibank-investor.aspx** और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अर्थात् बैंक के आरटीए की वेबसाइट **www.kfintech.com** पर उपलब्ध है.

password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if he / she is already registered with KFintech for remote e-voting then he /she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

Follow the instructions at II (i) to (x) to cast your vote.

III. GENERAL INSTRUCTIONS/INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR VOTING ON THE RESOLUTIONS:

I. Corporate/Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/Authority Letter etc., to the Scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to einward.ris@kfintech.com and idbiequity@idbi.co.in.

ii. In case of any queries, please visit 'Help' and 'Frequently Asked Questions' (FAQs) section / E- voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section available at RTA's website https://evoting.kfintech.com or call at toll free no. 1800 309 4001. Any grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. S V Raju, Deputy General Manager, at e-mail id: einward.ris@kfintech.com Or evoting@kfintech.com.

iii. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained in table above.
3. Alternatively member may send an e-mail request to einward.ris@kfintech.com for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

1. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.
2. In terms of SEBI Circular No. SEBI / HO / MIRSD / DOP1 / CIR / P / 2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, along with the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) / RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.
3. In terms of Circular no. SEBI / HO/ MIRSD / MIRSD_ RTAMB / P / CIR/2021/655 dated 3rd November, 2021, SEBI has laid down common and simplified norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination. Copies of the said Circulars together with relevant forms are available on the website of IDBI Bank at https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of KFin Technologies Limited (KFintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com.

तद्नुसार, केवाईसी दस्तावेज़ जमा करना और उपर्युक्त परिपत्र में अधिदेश के अनुसार नामिती विवरण को अद्यतित करना आपके हित में है. फोलियो, जिसमें 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद केवाईसी विवरण या नामिती विवरण में से कोई एक उपलब्ध नहीं होगा, को उक्त परिपत्रों की शर्तों के अनुसार केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज़ कर दिया जाएगा. केफिंटेक/ आईडीबीआई बैंक द्वारा फ्रीज़ किए गए फोलियो को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन प्रशासन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज़ रहते हैं.

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 की शर्तों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े हैं, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में सितंबर 2022 में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2014-15 के अदावित लाभांश को शेयरों (जिन पर लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश अदत्त/अदावित रहा है) के साथ निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश का दावा अभी तक नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.
5. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारक/(कों), जिनके शेयर कागजी रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को कागजी स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

डाक मतपत्र सूचना में दिए गए विशेष कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 01:

श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594) को 19 मार्च 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए एमडी एवं सीईओ तथा अनावर्ती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री शर्मा का अनुमोदित कार्यकाल 18 मार्च 2022 को समाप्त हो गया.

दिनांक 31 मार्च 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2019-20/204 डीओआर. एपीपीटी. सं. 58/29.67.001/2019-20 की शर्तों के अनुसार, एमडी एवं सीईओ की पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव के मामले में, चालू अवधि की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले पूर्ण आवेदन रिजर्व बैंक को उनके अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा. तद्नुसार, बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने 29 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में इस पर विचार किया और श्री शर्मा को बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में 19 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अगली अवधि के लिए बोर्ड से पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव की सिफारिश की. श्री राकेश शर्मा आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे. एनआरसी की सिफ़ारिश के अनुसरण में, बोर्ड ने 29 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री शर्मा की 19 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को अभिपुष्ट किया और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की सिफ़ारिश की. इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 15 फरवरी 2022 के अपने पत्र के जरिए श्री शर्मा की एमडी एवं सीईओ के रूप में 19 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है. भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, निदेशक मंडल ने दिनांक 24 फरवरी 2022 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन श्री शर्मा की 19 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है.

उक्त प्रस्ताव पर विचार करते समय, एनआरसी और बोर्ड ने समीक्षा की है और निम्नलिखित की पुष्टि की है :

क. यह कि श्री राकेश शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान बैंक को पीसीए से बाहर लाने और बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार लाने में सराहनीय कार्य किया है;

ख. यह कि बैंक के प्रवर्तकों और शेयरधारकों ने भी उनमें विश्वास दिखाया हैं, क्योंकि वे बैंक में रूपांतरकारी बदलाव लाने में सक्षम रहे हैं;

ग. यह कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उचित और उपयुक्त मानकों के अनुसरण में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु उचित और उपयुक्त हैं;

घ. यह कि श्री शर्मा ने पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दे दी है और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता विनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा इस संबंध में इसमें प्राप्त प्रकटनों के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं;

ङ. यह कि श्री शर्मा के पास उक्त पद के लिए अपेक्षित अहर्ताएं, कौशल, अनुभव और विशेष ज्ञान है.

श्री शर्मा को उनके कार्यकाल के दौरान देय वार्षिक पारिश्रमिक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है. एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप दिए गए हैं.

Accordingly, it is in your interest to submit the KYC documents and update nominee details as mandated in the above mentioned circular. Folios wherein any one of the KYC details or nominee details are not available on or after 1st April, 2023, shall be frozen by KFintech / IDBI Bank in terms of the said Circulars. The frozen folios will be referred by KFintech / IDBI Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on 31st December, 2025.

4. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred in September 2022 by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2014-15 to the Fund along with the shares (on which dividend has remained unpaid/unclaimed for seven consecutive years). The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2014-15, are requested to approach the Bank for claiming the same in terms of the said Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.
5. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of the Special Business given in the Postal Ballot Notice

Item No. 1:

Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594) was appointed as MD & CEO and non-rotational director for a period of three years w.e.f. March 19, 2019. Approved tenure of Shri Sharma ended on March 18, 2022.

In terms of the RBI Circular No. RBI/2019-20/204 DoR. Appt. No.58 /29.67.001/2019-20 dated 31 March, 2020, in case of the proposal relating to re-appointment of MD & CEO, complete application shall be forwarded to the RBI for their approval at least six months prior to the expiry of the current term. Accordingly, Nomination & Remuneration Committee of the Bank (NRC) at its meeting held on September 29, 2021 considered and recommended the proposal for re-appointment of Shri Sharma as the MD & CEO of the Bank for a further period of three years w.e.f. March 19, 2022, not liable to retire by rotation to the Board for their approval. Pursuant to the recommendation of the NRC, Board at its meeting held on September 29, 2021 ratified the proposal for re-appointment of Shri Sharma for a period of three years w.e.f. March 19, 2022 and recommended for submission to the RBI for their approval in this regard. Further, RBI vide their letter dated February 15, 2022 approved the re-appointment of Shri Sharma as MD & CEO for a period of three years w.e.f. March 19, 2022. On receipt of the RBI approval, Board of Directors at its meeting held on February 24, 2022 approved the re-appointment of Shri Sharma for a period of three years w.e.f. March 19, 2022, subject to approval of the members of the Bank.

While considering the said proposal, the NRC and Board, reviewed and confirmed the following:

a. That Shri Rakesh Sharma has done a commendable job in bringing the Bank out of PCA and improving the overall performance of the Bank during his tenure;
b. That the promoters and stakeholders of the Bank have also shown confidence in him, since he has been able to bring transformational changes in the Bank;
c. That Shri Rakesh Sharma is fit and proper to be re-appointed as MD & CEO pursuant to the fit and proper norms issued by the RBI;
d. That Shri Sharma has given his consent to be re-appointed and is not disqualified from being appointed as a director on the Board of the Bank pursuant to the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI Listing Regulations, the Banking Regulation, Act, 1949 and the Guidelines issued by the RBI, in this regard, from time to time, in terms of the disclosures obtained therein;
e. That Shri Sharma possesses the requisite qualifications, skills, experience and special knowledge required for the said post.

The Annual remuneration payable to Shri Sharma during his tenure is subject to approval of the RBI. The details as required under SS-2 and

श्री राकेश शर्मा का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री राकेश शर्मा एक अनुभवी बैंकर हैं जिनका विभिन्न बैंकों में 40 वर्षों से अधिक का कार्यकाल रहा है. उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में अपना बैंकिंग कैरियर शुरू किया और एसबीआई में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाला जिनमें एसबीआई की विशेषीकृत शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में क्रेडिट कार्यभार, एसबीआई की टोक्यो शाखा में 4 वर्ष तक कार्य करना, एसबीआई के कॉरपोरेट केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बैंकिंग परिचालन, एसबीआई के दिल्ली सर्कल एचआर प्रमुख, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुदरा परिचालन, अविभाजित आंध्र प्रदेश में मिड कॉरपोरेट समूह के प्रमुख और इसके बाद बिहार तथा झारखंड राज्यों में परिचालन सहित पटना सर्कल के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में कार्य शामिल हैं. इसके पश्चात् वे एसबीआई में मुख्य महाप्रबंधक के पद से मुक्त होकर लक्ष्मी विलास बैंक में एमडी एवं सीईओ बने और वहाँ उन्होंने 07 मार्च 2014 से 9 सितंबर 2015 तक अपनी सेवाएं दीं. उन्होंने 11 सितंबर 2015 को केनरा बैंक में एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला और 31 जुलाई 2018 तक 3 वर्षों की सेवाएं देकर एमडी एवं सीईओ के पद से सेवानिवृत्त हुए. केनरा बैंक में अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने केनरा बैंक की समूह कंपनियों में अध्यक्ष का पद भी संभाला. इसके पश्चात् उन्होंने 10 अक्तूबर 2018 को आईडीबीआई बैंक में एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला और एमडी एवं सीईओ के रूप में उनकी सेवाएं अभी जारी हैं.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 1 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफ़ारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री राकेश शर्मा के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है. श्री राकेश शर्मा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं.

मद सं. 02:

श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754) को 10 फरवरी 2022 से बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे एलआईसी द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किए जाने तक पद पर बने रहेंगे. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) और 160 के साथ पठित अनुच्छेद 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव है कि उन्हें बोर्ड में एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो एलआईसी के नामिती निदेशक की अपनी अवधि के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृति के लिए दायी होंगे.

श्री मुकेश गुप्ता बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए बैठक शुल्क और साथ ही साथ परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था के लिए प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे. एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में प्रदान किए गए हैं.

श्री मुकेश कुमार गुप्ता का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री मुकेश गुप्ता के पास जीवन बीमा उद्योग में रणनीतिक नेतृत्व और परिचालन का चार दशकों का अनुभव है. उन्होंने एलआईसी में विभिन्न वर्टिकलों में विभिन्न क्षमताओं तथा परिचालन कार्यालयों के सभी स्तरों जैसे शाखा प्रभारी, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, अंचल प्रबंधक एवं कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया है. उनके पास कार्मिक, विपणन, निवेश परिचालन, बैंक इंश्योरेंस, मानव संसाधन, नए कारोबार एवं पुनर्बीमा, और अंचल प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रबंधन विकास केंद्र से संबंधित गहन अनुभव एवं विशेषज्ञता है. उनके पास विविध और बेहतर व्यावहारिक ज्ञान तथा बीमा निवेश एवं वित्त क्षेत्र में अंतर्दृष्टि है. एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में अन्य कार्यों के साथ, वे एलआईसी के विनियामकीय अनुपालन और निवेश परिचालन की देखरेख कर रहे थे. प्रबंध निदेशक के रूप में एलआईसी के बोर्ड में होने के अलावा, श्री गुप्ता के पास बोर्ड प्रशासन का गहन अनुभव है. उन्होंने अलग-अलग समय में छह कंपनियों के बोर्ड में नामिती निदेशक/ निदेशक के रूप में कार्य किया है जिसमें भारत और विदेश में एलआईसी की सहायक और सहयोगी कंपनियां ही नहीं, बल्कि भारत की प्रसिद्ध सार्वजनिक कंपनियां भी शामिल हैं. वर्तमान में वे एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में आईटीसी के बोर्ड में शामिल हैं. श्री गुप्ता ने अनेक प्रमाणन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है जिनमें एफ़एएलआईए (दुनियाभर में जीवन और बीमा की उन्नति के लिए संस्थान) का प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईआईएम अहमदाबाद द्वारा आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में नेतृत्व पर सत्र, आईएसबी हैदराबाद द्वारा आयोजित मार्शल गोल्डस्मिथ द्वारा एक्जीक्यूटिव कोचिंग शामिल हैं.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 2 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफ़ारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री मुकेश कुमार गुप्ता के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में

SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Sharma is provided hereinafter:

Shri Rakesh Sharma is a seasoned banker with a total stint of over 40 years in various Banks. He started his banking career in State Bank of India (SBI) and held various responsibilities in SBI including credit assignments in specialized branches and administrative offices of SBI, working at Tokyo Branch of SBI for 4 years, banking operations in International banking group at Corporate Center of SBI, Head of HR in Delhi circle, retail operations in the state of Rajasthan, Uttarakhand and Western UP, Head of Mid Corporate group in Undivided Andhra Pradesh and then CGM of Patna Circle comprising operations in Bihar and Jharkhand states. He then moved from the position of Chief General Manager in SBI to Lakshmi Vilas Bank Ltd. as MD & CEO and served there from March 07, 2014 till September 09, 2015. He joined Canara Bank as MD & CEO on September 11, 2015 and retired from Canara Bank as MD & CEO after serving for a period of 3 years till July 31, 2018. While in Canara Bank he also held the position of Chairman in the group companies of Canara Bank. He then joined IDBI Bank as MD & CEO w.e.f. October 10, 2018 and continues to be the MD & CEO.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.1 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Rakesh Sharma himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Sharma is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Item No. 2:

Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN: 06638754) was appointed LIC Nominee Director on the Board w.e.f. February 10, 2022 to hold office till the pleasure of LIC. In compliance of Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160 of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as LIC Nominee Director on the Board.

Shri Mukesh Gupta shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Mukesh Kumar Gupta is provided hereinafter:

Shri Mukesh Gupta has four decades of strategic leadership and operational experience in life insurance industry. He has worked across multiple verticals in various capacities heading all tiers of operational offices in LIC as Branch In- charge, Senior Divisional Manager, Zonal Manager & Executive Director with experience and expertise spread across Personnel, Marketing, Investment Operations, Banc assurance, Human Resources, New Business & Reinsurance, and Zonal Training Centre & Management Development Centre. He has fairly diverse and good practical knowledge and insight into Insurance Investment and Finance function. As Managing Director of LIC, among other functions, he was overseeing Regulatory Compliance and Investment Operations of LIC. Besides being on the Board of LIC as Managing Director, Shri Gupta has rich experience of Board governance having served as nominee director / director on the Boards of six companies at different points of time which included not only subsidiaries and associates of LIC in India and abroad but also several well-known public companies in India. He is presently on the Board of ITC Limited as Nominee Director of LIC. Shri Gupta has attended number of certification & training programmes which included training program of FALIA (Foundation for Advancement of Life & Insurance Around the world), session on Leadership in Public Sector Banks and Financial Institutions conducted by IIM Ahmedabad, Executive coaching by Marshal Goldsmith conducted by ISB, Hyderabad

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.2 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Mukesh Gupta himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly,

उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है. श्री गुप्ता बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) से संबंधित नहीं हैं.

मद सं. 3:

श्री थोथला नारायणसामी मनोहरन (डीआईएन:01186248) को आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 24 फरवरी 2022 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वे आगामी महासभा की तारीख तक ऐसे निदेशक के रूप में पद पर रहेंगे. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन निदेशक पद के लिए श्री टी. एन. मनोहरन से अपनी उम्मीदवारी सूचित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है. यह प्रस्ताव है कि श्री टी. एन. मनोहरन को 24 फरवरी 2022 (अर्थात् अपर निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से लगातार 4 वर्षों के आरंभिक कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और इस सूचना की मद सं.3 में दिए गए संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री टी. एन. मनोहरन ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अंतर्गत इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 16 में दिए अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम 2013 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और यह कि उक्त निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

स्वतंत्र निदेशक के रूप में, श्री टी. एन. मनोहरन बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क और साथ ही साथ वाहन व्यय, यात्रा तथा ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी की सिफ़ारिशों के आधार पर, बोर्ड ने श्री टी. एन. मनोहरन को 24 फरवरी 2022 से लगातार 4 वर्षों के लिए प्रारंभिक कार्यकाल हेतु स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है. एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

श्री टी. एन. मनोहरन का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री टी. एन. मनोहरन अर्हताप्राप्त सीए, विधि स्नातक हैं और उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आईएफ़आरएस सर्टिफिकेट लेवल ऑनलाइन लर्निंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम पूरा किया है. वह 38 वर्षों से सनदी लेखाकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं. वे "मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स" फ़र्म के संस्थापक भागीदार और संरक्षक हैं, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और भारत में विभिन्न स्थानों पर इसकी शाखाएँ हैं. 1983 में सीए के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद, उन्होंने लेखापरीक्षा, कर और परामर्श सेवाओं के क्षेत्रों को शामिल करते हुए सार्वजनिक प्रैक्टिस शुरू की. समय के साथ इन्होंने कर प्रतिनिधित्व और कॉर्पोरेट सलाहकार सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त की.

श्री मनोहरन ने भारत और विदेश में संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लिया है. उन्होंने बीकॉम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए कराधान पर पाठ्य पुस्तकें भी लिखी हैं और आरबीआई स्टाफ कॉलेज, आईसीएआई, आईसीएसआई और भारतीदासन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में विजिटिंग संकाय रहे हैं. आरबीआई के आग्रह पर उन्होंने अगस्त 2008 से अक्तूबर 2011 के दौरान सहारा इंडिया फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने और कारोबार के समापन के लिए निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं. उन्हें जनवरी 2009 से जुलाई 2012 तक भारत सरकार द्वारा सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस लि. के बोर्ड में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 2006-07 के दौरान बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं. वे 2012-2015 तक एनसीसी लि. के स्वतंत्र निदेशक थे.

श्री मनोहरन 2015 से 2020 तक 5 वर्षों के लिए केनरा बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष थे. उन्हें आरबीआई द्वारा नवंबर 2020 के दौरान लक्ष्मी विलास बैंक के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया गया था और उन्होंने डीबीएस बैंक इंडिया लि. के साथ विलय में सहयोग प्रदान किया. वे 2012 से 2014 तक सीवीसी और आरबीआई द्वारा गठित बैंकों, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं. वे जून से अगस्त 2019 के दौरान भारत में कॉर्पोरेट ऋण के लिए द्वितीयक बाज़ार स्थापित करने हेतु सिफ़ारिशें देने के लिए आरबीआई द्वारा गठित कार्यबल के अध्यक्ष थे. वे अगस्त 2020 से जून 2021 तक कोविड-19 संबंधी तनाव हेतु कॉर्पोरेट ऋणों के समाधान ढांचे के लिए आरबीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे. वर्तमान में वे टेक महिंद्रा लि., महिंद्रा एंड महिंद्रा लि., टेक महिंद्रा अमेरिका के बोर्ड में हैं और मार्च 2021 से 3 वर्षों के लिए यूनिवर्सल बैंकों और स्माल फ़ाइनेंस बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन हेतु आरबीआई द्वारा गठित स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्य हैं.

श्री मनोहरन को सत्यम पुनः प्रवर्तन टीम के सदस्य के रूप में क्रमशः अक्तूबर और दिसंबर 2009 में भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा "बिज़नस लीडरशिप अवार्ड" और

concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Gupta is not related to any other Director on the Board of the Bank or any KMP of the Bank.

Item No. 3:

Shri Thothala Narayanasamy Manoharan (DIN: 01186248) was appointed as an Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. February 24, 2022 and shall hold office as such Director upto the date of the ensuing General Meeting. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Shri T. N. Manoharan signifying his candidature for the office of Director. It is proposed to appoint Shri T. N. Manoharan as Independent Director for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. February 24, 2022 (i.e. the date of his original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No.3 of this Notice. It may be noted that Shri T. N. Manoharan has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI Listing Regulations and The Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.

As an Independent Director, Shri T. N. Manoharan shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Shri T. N. Manoharan as Independent Director for the initial term of 4 consecutive years w.e.f. February 24, 2022. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri T. N. Manoharan is provided hereinafter:

Shri T. N. Manoharan is a qualified CA, Law graduate and has completed IFRS certificate level online learning and assessment programme of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. He is a practicing Chartered Accountant with 38 years standing. He is the founder partner and mentor of the firm "Manohar Chowdhry & Associates" which is headquartered in Chennai and has branches in different locations in India. After qualifying as a CA in 1983, he commenced public practice covering areas of Audit, Tax and Consultancy services. Over a period of time specialized in Tax representation and corporate advisory services.

Shri Manoharan has presented papers in seminars and conferences in India and abroad. He has also Authored text books on Taxation for B.Com and professional course students and has been visiting faculty in RBI Staff College, ICAI, ICSI and Bharathidasan Institute of Management. He has served as Director at the instance of RBI in Sahara India Finance Corporation to protect the interest of depositors and winding up of the business during August 2008 to October 2011. He was appointed as Special Director by the Government of India on the Board of Satyam Computers Services Ltd. from January 2009 to July 2012. He was a Member on the Board of Insurance Regulatory & Development Authority during 2006-07. He was Independent Director of NCC Ltd. from 2012 to 2015.

Shri Manoharan was the Non-Executive Chairman of Canara Bank for 5 years from 2015 to 2020. He was also appointed by RBI as Administrator of Lakshmi Vilas Bank during November 2020 and facilitated merger with DBS Bank India Ltd. He served as member of the advisory board on Banks, Commercial and Financial Frauds constituted by the CVC and RBI from 2012 to 2014. He was Chairman of the Task Force constituted by RBI for making recommendations for establishing secondary market for Corporate Loans in India during June to August 2019. He was Member of the Expert Committee constitute by RBI for Resolution framework of corporate loans for Covid 19 related stress from August 2020 to June 2021. He is presently on the Board of Tech Mahindra Ltd., Mahindra & Mahindra Ltd., Tech Mahindra America and Member of the Standing External Advisory Committee (SEAC) constituted by the RBI for evaluation of applications for Universal banks and Small Finance Banks for 3 years since March, 2021.

Shri Manoharan was awarded "Business Leadership award" by the Hon'ble Finance Minister of India and "Indian of the year 2009" by the

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 'इंडियन ऑफ दी ईयर 2009' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 07 अप्रैल 2010 को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार 'पद्म श्री' से भी सम्मानित किया गया.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 3 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री टी.एन. मनोहरन के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनके शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है. श्री टी.एन. मनोहरन बैंक के किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं हैं.

मद सं. 4:

श्री समरेश परिदा (डीआईएन 01853823) को 19 मई 2018 से 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 18 मई 2022 को अपना 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1) (vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार श्री समरेश परिदा लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हैं. श्री समरेश परिदा ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया है. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर यह प्रस्ताव है कि श्री समरेश परिदा को 19 मई 2022 से लगातार 4 वर्षों के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जाए तथा इस डाक मतपत्र सूचना की मद सं. 4 में दिए गए संकल्प को पारित किया जाए. यह भी नोट किया जाए कि श्री समरेश परिदा ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, बोर्ड के मतानुसार भी वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और यह कि उक्त निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है.

श्री समरेश परिदा बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क और साथ ही साथ वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था के लिए प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी के सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने श्री समरेश परिदा को 19 मई 2022 से लगातार 4 वर्षों के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है. एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अंतर्गत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में दिए गए हैं.

श्री समरेश परिदा का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री समरेश परिदा अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से एमबीए हैं. वे विभिन्न क्षेत्रों में वित्त, रणनीति, परिचालन, कारोबार पुनर्संरचना में 30 वर्षों से अधिक के प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड के साथ वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर हैं. उनके पास भारत और प्रमुख वैश्विक बाज़ारों - विशेष रूप से यूएसए, एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप का अनुभव है. वह एसपी ग्रोथ कंसल्टेंसी के संस्थापक और सीईओ हैं जो प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करती है. वे नाबार्ड के वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं और भारत में वोडाफ़ोन के लिए रणनीतिक निदेशक तथा पेप्सिको में लगभग दो दशकों तक कार्य कर चुके हैं जिनमें से लगभग एक दशक तक वे यूएस में मुख्यालय में रहे हैं. पेप्सिको में अपने पिछले कार्यकाल में वे यूएस में एक रणनीतिक व्यापार इकाई के सीएफ़ओ थे. वर्तमान में, वे तीव्र वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैट्रिक्स कोम्सेक प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री समरेश परिदा के अलावा) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में उनके शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री समरेश परिदा बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं.

मद सं. 5:

श्री जंबुनाथन नारायणन (डीआईएन: 05126421) को 19 मई 2018 से 4 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे अपना 4 वर्षों का मौजूदा कार्यकाल 18 मई 2022 को

Hon'ble Prime Minister of India in October and December 2009 respectively as part of the Satyam revival team. He was also conferred with India's prestigious civilian award "Padma Shri" by the Hon'ble President of India on April 07, 2010.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.3 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri T. N. Manoharan himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri T. N. Manoharan is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank.

Item No. 4:

Shri Samaresh Parida (DIN: 01853823) was appointed as an Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. May 19, 2018 for an initial period of 4 years. He is completing his current tenure of 4 years on May 18, 2022. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1) (vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Samaresh Parida is eligible for reappointment for second term of 4 consecutive years. Shri Samaresh Parida has offered himself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII (2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2021-22, it is proposed to re-appoint Shri Samaresh Parida as an Independent Director for second term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2022 and pass the resolution contained under Item No.4 of this Postal Ballot Notice. It may be noted that Shri Samaresh Parida has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of SEBI Listing Regulations. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI Listing Regulations and the Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.

Shri Samaresh Parida shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Shri Samaresh Parida as Independent Director for the second term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2022. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Samaresh Parida is provided hereinafter:

Shri Samaresh Parida is a qualified Chartered Accountant, Cost Accountant and an MBA from Indian Institute of Management, Ahmedabad. He is a Senior Management professional with proven track record of over 30 years in finance, strategy, operations, business re-engineering in different sectors. He has experience in India and key global markets - specifically USA, Asia, Latin America and Europe. He is the Founder and CEO of SP Growth consulting which provides management consultancy services. He has been Senior Advisor to NABARD, Director of Strategy for Vodafone in India, worked with PepsiCo for about two decades out of which for almost a decade he was based in the Headquarters in the US. In his last assignment in PepsiCo, he was the CFO for a Strategic Business Unit in the US. He is currently a Director in Tiivra Ventures Private Limited and Matrix Comsec Private Limited.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.4 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Samaresh Parida himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Samaresh Parida is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Item No. 5:

Shri Jambunathan Narayanan (DIN: 05126421) was appointed as an Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. May 19, 2018

पूरा कर रहे हैं. बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1)(vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार श्री एन. जंबुनाथन सतत 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं. श्री जंबुनाथन ने अपनी पुनर्नियुक्ति हेतु अपना प्रस्ताव दिया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के उपबंधों के अनुसार और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर श्री एन. जंबुनाथन को 19 मई 2022 से सतत 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने तथा इस डाक मत पत्र नोटिस की मद संख्या 5 में दिए गए संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है. यह नोट किया जाए कि श्री एन. जंबुनाथन ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 16 के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करना जारी रखे हुए हैं. इसके साथ ही, बोर्ड के मतानुसार भी वे इस प्रकार की नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमावली और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और यह कि उक्त निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है.

श्री एन. जंबुनाथन बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान और साथ ही उनके परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्थाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे. एनआरसी की सिफ़ारिश के आधार पर बोर्ड श्री एन. जंबुनाथन की 19 मई 2022 से सतत 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की संस्तुति करता है. एसएस-2 तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अधीन अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध में दिया गया है.

<u>श्री जंबुनाथन नारायणन का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल इसमें नीचे दिया गया है:</u>

श्री जंबुनाथन नारायणन सांख्यिकी में पोस्ट ग्रेजुएट, सीएआईआईबी तथा एआईएमए से प्रबंध में डिप्लोमा धारी और स्टेट बैंक में विभिन्न पदों पर कार्य करने के विशद अनुभव रखने वाले कैरियर बैंकर हैं. उन्होंने बैंक के कंप्यूटर/आईटी संबंधी विभागों में मुख्य महाप्रबंधक -आईटी सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है. उन्होंने रिटेल बैंकिंग और भुगतान व्यवसाय के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण दायित्वों को संभाला है. वे स्टेट बैंक से उप प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उन्होंने रिलायंस पेमेंट्स सिस्टम्स लि. के साथ भी उनके भुगतान संबंधी पहल कार्यों जिसमें एसबीआई के साथ संयुक्त उद्यम बैंक की स्थापना शामिल है, के संबंध में दो वर्षों के लिए सलाहकार/मेंटर के रूप में भी कार्य किया है. उन्होंने टीसीएस एवं एसबीआई की संयुक्त उद्यम आईटी कंपनी सी-एज टेक्नोलोजिस लि. में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किया है. इस समय वे टाइटेनियम फॉर्च्यून फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं.

निदेशक मंडल नोटिस की मद संख्या 5 में दिए अनुसार विशेष संकल्प को पारित किए जाने की संस्तुति करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, के अलावा बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री एन. जंबुनाथन को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प को पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री जंबुनाथन का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक अथवा बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

<u>मद सं.6:</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबंधित पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों को शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है. तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(4) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण संकल्प के जरिए शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा चाहे भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों.

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा, तथा पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा वित्तीय वर्ष में हुए पिछले लेनदेनों को मिलाकर हुए लेनदेन की राशि 1000 करोड़ रु. अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा.

for an initial period of 4 years. He is completing his current tenure of 4 years on May 18, 2022. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri N. Jambunathan is eligible for re-appointment for second term of 4 consecutive years. Shri N. Jambunathan has offered himself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII (2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2021-22, it is proposed to re-appoint Shri N. Jambunathan as an Independent Director for second term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2022 and pass the resolution contained under Item No.5 of this Postal Ballot Notice. It may be noted that Shri N. Jambunathan has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of SEBI Listing Regulations. Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI Listing Regulations and the Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.

Shri N. Jambunathan shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Shri N. Jambunathan as Independent Director for the second term of 4 consecutive years w.e.f. May 19, 2022. The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

<u>The brief profile of Shri Jambunathan Narayanan is provided hereinafter:</u>

Shri Jambunathan Narayanan is a Post Graduate in statistics, CAIIB with Diploma in Management from AIMA and is a career banker with rich experience at different levels in State Bank. He worked on different positions in the Bank in computer related Departments/ IT including as CGM-IT. He also held important assignments in Retail Banking and Payments business. He retired from State Bank as its Dy. Managing Director. He has worked as Advisor / Mentor with Reliance Payments Systems Ltd. for two years in respect of their payments related initiatives which included setting up of a Joint Venture bank with SBI. He worked as the Chief Executive officer at C-Edge Technologies Ltd., a joint venture IT Company of TCS & SBI. He is currently a Director in Titanium Fortune Financial Services Private Limited.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.5 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri N. Jambunathan himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri N. Jambunathan is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

<u>Item No. 6:</u>

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एलआईसी के बैंक के संबंधित पक्ष होने के नाते स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यहारों की शृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) कार्यान्वित करता है. एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों के विवरण निम्नानुसार हैं:

1) जमाराशियाँ स्वीकार करना

बैंक को आम जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करनी होती हैं जो मांग पर अथवा अन्य रीति से चुकौती-योग्य होती हैं. एलआईसी सभी ग्राहकों के लिए लागू होने वाली शर्तों के समान शर्तों पर बैंक के साथ चालू खाता परिचालित करता है. एक बार खाता खोले जाने के बाद बैंक विधिक तौर पर ग्राहक के खाते में जमा होने वाली राशियों को नहीं रोक सकता है और यह पूरी तरह से ग्राहक के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वह वह कितनी राशि जमा के रूप में रखना चाहता है. अतः संव्यवहार के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है. संव्यवहार की अवधि एलआईसी द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करती है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है. बैंक द्वारा बैंकिंग प्रभार बैंक की नीतियों तथा आरबीआई के मानदंडों के अनुसार सभी ग्राहकों पर एकसमान दर से प्रभारित किए जाते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जमा अथवा बैंकिंग प्रभार सामान्य बैंकिंग कार्यकलापों से उत्पन्न होते हैं, संव्यवहार का मूल्य एलआईसी पर निर्भर करता है और बैंक द्वारा इसका आकलन नहीं किया जा सकता है. जमाओं को स्वीकार करने और बैंकिंग प्रभारों की प्राप्ति से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को प्रोत्साहन प्राप्त होता है और ये बैंक के हित में हैं.

2) निधि तथा गैर-निधि सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के भाग के रूप में एकसमान प्रक्रियाओं के आधार पर एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को निधि तथा गैर-निधि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. सामान्य अनुक्रम में सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और संव्यवहार की अवधि प्रत्येक मामले में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की जरूरतों पर निर्भर करती है. आरबीआई के लागू मानदंडों के अधीन अनुमत निबंधनों एवं शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि आदि) तथा बैंक की संबंधित नीतियों, जो बैंक के सभी ग्राहकों पर एकसमान रूप से लागू होती हैं, के आधार पर सुविधाओं की मंजूरी हेतु विचार किया जाता है. ऐसा संव्यवहार बैंक के सामान्य संव्यवहारों का भाग होता है. संव्यवहार का मूल्य बैंक की उधार नीतियों तथा ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए संव्यवहार के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है. यह आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट एकल तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर/अन्तः समूह मानदंडों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अध्यधीन भी होता है. संबंधित पक्षों को प्रदान की जाने वाली इन सुविधाओं का मूल्य-निर्धारण प्रचलित बाजार दर पर आधारित होता है अथवा बाहरी बेंचमार्क से सम्बद्ध होता है जो सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को एकसमान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर होता है. सुविधाओं की अवधि ग्राहकों (संबंधित/असंबंधित पक्ष) की आवश्यकता पर निर्भर करती है और यह विनियामकीय दिशा-निर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन होती है जो सभी ग्राहकों पर एकसमान रूप से लागू होते हैं. ये संव्यवहार बैंक के बैंकिंग व्यवसाय में बढ़ोतरी करते हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम में अनुपालन किए जाने वाले निर्दिष्ट मानदंडों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी एवं अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार संपन्न किए जाते हैं और इस प्रकार से ये बैंक के हित में हैं.

3) ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन/मोचन

बैंक अपने कारोबार हेतु धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सहित) द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफार्मों पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके तहत लागू विधियों और प्रस्तावं पत्र के प्रावधानों के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आबंटित की जाती हैं तथा इन प्रतिभूतियों पर सभी निवेशकों को एकसमान ब्याज अदा किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अधीन है. लेन-देन की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी. यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है.

पूर्व में बैंक ने अपने कारोबार हेतु धन जुटाने के लिए एलआईसी को बांड जारी किए थे. नीचे दिए गए बांडों का मोचन वित्तीय वर्ष 2022-23 में होने वाला है. इन बांडों का मोचन इनके जारी करने के समय सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा.

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का नाम	योजना का नाम / आईएसआईएन	परिपक्वता / कॉल ऑप्शन की देय तारीख	देय राशि (करोड़ रु. में)	टिप्पणी
1	एलआईसी	आईडीबीआई ओम्नी बॉण्ड्स 2012-13 शृंखला IINE008A08U35	30-मई-2022 (परिपक्वता)	250.00	सामान्य परिपक्वता
2		आईडीबीआई ओम्नी बॉण्ड्स 2012-13 टियर II शृंखला II INE008A08U43	25-अक्तूबर-2022 (कॉल ऑप्शन)	1000.00	कॉल विकल्प का प्रयोग विनियामक अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन किया जाएगा.
3		आईडीबीआई ओम्नी बॉण्ड्स 2012-13 बेमियादी टियर I शृंखला IV INE008A08U68	26-दिसंबर-2022 (कॉल ऑप्शन)	200.00	कॉल विकल्प का प्रयोग विनियामक अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन किया जाएगा.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

1) Acceptance of Deposits

The Bank is required to accept deposits from public, repayable on demand or otherwise. LIC operates current account deposits with the Bank on the same terms as applicable to all customers. Once an account is opened, a bank cannot legally stop amounts coming into the customer's account and it is entirely up to the discretion of the customer how much amount it seeks to place into the deposit. Hence, the value of the transaction is not determinable. The tenure of the transaction depends on period opted for by LIC and cannot be ascertained by the Bank. Banking charges are levied by the Bank uniformly on all customers in accordance with Bank's policies and RBI norms. Given that deposits or banking charges arise out of normal banking activities, the value of the transaction depends on LIC and cannot be ascertained by the Bank. Acceptance of deposits and receipt of banking charges are in furtherance of the normal banking business and are in the interest of the Bank.

2) Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

3) Issuance /Redemption of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed in financial year 2022-23 cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

The Bank had earlier issued Bonds to LIC for raising funds for business of the Bank. The redemption of the Bonds as given below are due in financial year 2022-23. These Bonds would be redeemed as per the terms and conditions agreed at the time of the issuance.

Sr No	Name of related party	Scheme name/ISIN	Due date of Maturity/call Option	Amount due (In Cr.)	Remarks
1	LIC	IDBI Omni Bonds 2012 -13 Series INE008A08U35	30-May-2022 (maturity)	250.00	Normal maturity
2		IDBI Omni Bonds 2012-13 Tier II Series II INE008A08U43	25-Oct-2022 (call option)	1000.00	Call will be exercised subject to receipt of regulatory approval.
3		IDBI Omni Bonds 2012 -13 Perpetual Tier I Series IV INE008A08U68	26-Dec-2022 (call option)	200.00	Call will be exercised subject to receipt of regulatory approval.

4) बीमा उत्पादों और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/ कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी करार किया है. विनियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई से उचित अनुमोदन प्राप्त किया गया है / सूचना दी गई है. बैंक बीमा उत्पादों के वितरण के लिए आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार शुल्क / कमीशन अर्जित करता है. एलआईसी के साथ यह करार अनुबंध की शर्तों और विनियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीनीकरण के अधीन है. अर्जित शुल्क का स्तर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है अर्थात व्यापार की मात्रा, बैंक की रणनीति, विनियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारक. इस प्रकार, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. बैंक एलआईसी के बीमा उत्पादों को अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक हिस्से के रूप में पेश करता है और करार की शर्तों के अनुसार शुल्क / कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है.

5) अन्य संव्यवहार

मुद्रा बाजार लेनदेन में अन्य सामान्य बाजार सहभागियों/ प्रतिपक्षकारों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों की तरह बाजार आधारित लेन-देन, द्वितीयक बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों / कॉर्पोरेट बांडों और मुद्रा बाजार लिखतों की खरीद / बिक्री, बांडों में निवेश, कोई अन्य आय / व्यय या बैंक के कारोबार के सामान्य क्रम में डिपॉजिटरी सहभागी के रूप में अन्य गतिविधियां, कस्टोडियन सेवाएं, निवेश बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेनदेन आदि.

बैंक अपने कारोबार के नियमित अनुक्रम में बैंक द्वारा ऋण/ अग्रिम देने या निवेश से संबंधित किसी भी संव्यवहार को करने के लिए कोई विशिष्ट ऋण वहन नहीं करता है. उपर्युक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष का संबंध / हित वित्तीय स्वरूप का है.

उपर्युक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/ पंजीयन/ लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते है और लागू कानूनों के अनुसार हैं और इसलिए यह बैंक के हित में है.

वित्तीय वर्ष 2020-23 के दौरान किसी भी समय उपर्युक्त उल्लिखित लेनदेन एलआईसी के लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत, "तात्विक पक्ष लेनदेन" की सीमा से अधिक हो सकते हैं अर्थात बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार, 1000 करोड़ रुपये या बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो. सभी लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक और/या इससे संबंधित पक्षों के कारोबार के सामान्य क्रम में निष्पादित किए जाएंगे. सदस्यों से मांगी जा रही मंजूरी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में एलआईसी के साथ बैंक द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेनदेनों, जिसमें संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण भी शामिल हैं, के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी नोट किया है कि एलआईसी के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य रूप में होंगे.

निदेशक मंडल नोटिस की मद सं. 6 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफ़ारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया है कि बैंक का कोई भी निदेशक (एलआईसी नामित निदेशकों को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

सदस्य कृपया नोट करें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के अनुसार, डाक मतपत्र के साथ मद सं. 6 पर सामान्य संकल्प के अनुमोदन के लिए कोई संबंधित पक्ष वोट नहीं करेंगे, चाहे संस्था किसी विशेष लेनदेन के लिए एक संबंधित पक्ष हो या न हो.

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

5) Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Secondary Market Buying / Selling of Govt. Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, any other income/expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions, etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the FY 2022-23 may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LIC. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be effective from April 1, 2022.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LIC in Financial Year 2022-23 including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with LIC would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.6 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than LIC Nominee Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the accompanying Postal Ballot Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

सूचना के लिए अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3) (क) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुसार विवरण

निदेशक का नाम	श्री राकेश शर्मा	श्री मुकेश कुमार गुप्ता	श्री टी.एन. मनोहरन	श्री समरेश परिदा	श्री जंबुनाथन नारायणन
पदनाम	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	एलआईसी नामिती निदेशक	अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी)	स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक
जन्म तारीख / आयु	02.07.1958 63 वर्ष	18.09.1961 60 वर्ष	07.04.1956 65 वर्ष	01.09.1960 61 वर्ष	16.03.1955 66 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	10 अक्तूबर 2018	10 फरवरी 2022	24 फरवरी 2022	19 मई 2018	19 मई 2018
योग्यता	अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट, सीएआईआईबी	बीएससी और एमबीए (एचआरएम)	बी.कॉम, एम.कॉम, विधि स्नातक, आईसीएआई के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स से आईएफआरएस प्रमाणपत्र स्तर का ऑनलाइन लर्निंग एवं असेसमेंट प्रोग्राम	सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट और एमबीए	सांख्यिकी में पोस्ट ग्रेजुएट, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा
विशेषज्ञता	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, एचआर, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	मानव संसाधन, बैंकिंग, बिक्री एवं विपणन, व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम, आईटी, वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, जोखिम, लघु उद्योग, वित्त, विधि, मानव संसाधन और व्यवसाय प्रबंधन	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, आईटी, व्यवसाय प्रबंधन, रणनीतिक आयोजना, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, आईटी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	1. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लि. 2. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लि. 3. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान– शासी निकाय के अध्यक्ष; 4. भारतीय बैंक संघ – उपाध्यक्ष	1. आईटीसी लि.	1. टेक महिंद्रा लि.; 2. महिंद्रा एंड महिंद्रा लि.; 3. टेक महिंद्रा अमेरिकास (इंक) (असूचीबद्ध) 4. आरबीआई द्वारा गठित एसईएसी के मार्च 2021 से तीन वर्ष के लिए सदस्य	1. एसपी ग्रोथ कंसल्टिंग – सेल्फ फाउंडर एवं सीईओ; 2. तीव्र वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड; 3. मैट्रिक्स कॉमसेक प्राइवेट लिमिटेड	1. टायटेनियम फॉर्च्यून फाइनेंसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड 2. के. एम. मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, वाशी, मुंबई; 3. खारघर भक्त समाजम – मानद अध्यक्ष
सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशकों ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो	कोई नहीं	एलआईसी द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के कारण उन्होंने एलआईसी के नामिती निदेशक के रूप में डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि. के बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है.	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	शून्य	निम्न की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष :- I. टेक महिंद्रा लि.; II. महिंद्रा एंड महिंद्रा लि.	शून्य	शून्य
निदेशक की शेयरधारिता	4400 शेयर (धारिता का बहुत कम प्रतिशत)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के निबंधन और शर्तें	एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 196, 197, 203 और अनुसूची V में निर्दिष्ट किए अनुसार हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, प्रबंध निदेशक और सीईओ को कंपनी के संपूर्ण मामलों का प्रबंधन सौंपा जाएगा, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे.	गैर-कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 और सेबी सूचीबद्धता विनियामवली के प्रावधानों में निर्दिष्ट किए अनुसार हैं.	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV और सेबी सूचीबद्धता विनियामवली के प्रावधानों में निर्दिष्ट किए अनुसार हैं.	स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV और सेबी सूचीबद्धता विनियामवली के प्रावधानों में निर्दिष्ट किए अनुसार हैं.	स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV और सेबी सूचीबद्धता विनियामवली के प्रावधानों में निर्दिष्ट किए अनुसार हैं.
पारिश्रमिक	एमडी एवं सीईओ को देय पारिश्रमिक एनआरसी और बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित होगा.	बोर्ड / समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और रहने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार.	बोर्ड / समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और और रहने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार.	बोर्ड / समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और और रहने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार.	बोर्ड / समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और और रहने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार.
नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए औचित्य और कौशल एवं कार्य के लिए आवश्यक क्षमताएं तथा ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशकों के तौर/तरीके	लागू नहीं	लागू नहीं	बैंक के एनआरसी और निदेशक मंडल की राय है कि श्री मनोहरन ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी योग्यताएं, बोर्ड स्तर का अनुभव तथा विशेषज्ञता, बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और समृद्ध अनुभव बैंक के हित में है. इसके अतिरिक्त बोर्ड का विचार है कि श्री मनोहरन के पास ऊपर उल्लेखित अपेक्षित कौशल और क्षमताएं हैं, जैसा कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक के लिए अभिनिर्धारित और अपेक्षित है.	बैंक के बोर्ड में उनके लगभग 4 वर्षों के निरंतर पिछले प्रदर्शन के आधार पर और उनके प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर श्री समरेश परिदा और श्री जंबुनाथन नारायणन को स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव है.	
अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लिए जाने की संख्या	(16/16)	(3/3)	(2/2)	(16/18)	(16/12)

Annexure to the notice

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	Shri Rakesh Sharma	Shri Mukesh Kumar Gupta	Shri T. N. Manoharan	Shri Samaresh Parida	Shri Jambunathan Narayanan
Designation	Managing Director and Chief Executive officer	LIC Nominee Director	Additional Director (Independent Category)	Independent Director	Independent Director
Date of Birth/ Age	02.07.1958 63 years	18.09.1961 60 years	07.04.1956 65 years	01.09.1960 61 years	16.03.1955 66 years
Date of first appointment	October 10, 2018	February 10, 2022	February 24, 2022	May 19, 2018	May 19, 2018
Qualification	Post Graduate in Economics, CAIIB	B.Sc and MBA (HRM)	B. Com, M.Com, Law Graduate, Fellow member of the ICAI and IFRS Certificate level online learning and assessment programme of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales	CA, Cost Accountant and MBA	Post Graduate in statistics, CAIIB, Diploma in management
Expertise	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small Scale industry, HR, Business Management, Administration and Corporate Governance	HR, Banking, Sales & Marketing, Business Management, Risk, IT, Finance, Administration & Corporate Governance	Accountancy, Economics, Banking, Risk, Small Scale Industry, Finance, Law, Human Resources and Business Management	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Finance, IT, Business Management, Strategic Planning, Administration and Corporate Governance	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, IT, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance
Directorship in other entities	1. IDBI Asset Management Ltd.; 2. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.; 3. Entrepreneurship Development institute of India – President of the Governing Body; 4. Indian Bank's Association – Deputy Chairman	1. ITC Ltd.	1. Tech Mahindra Ltd.; 2. Mahindra & Mahindra Ltd.; 3. Tech Mahindra Americas(Inc) (Unlisted) 4. Member of the SEAC constituted by the RBI for 3 years since March, 2021	1. SP Growth Consulting – Self- Founder and CEO; 2. Tilvra Ventures Private Limited; 3. Matrix Comsoc Private Limited	1. Titanium Fortuna Financial Services Pvt. Ltd. 2. K M Munshi institute of Advanced Studies, Vashi Mumbai; 3. Kharghar Bhaktha Samajam- Honorary President
Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	None	On nomination being withdrawn by LIC, he has resigned from the Board of DCM Shriram Industries Ltd. as Nominee Director of LIC.	None	None	None
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	Nil	Nil	Chairperson of Audit Committee in:- i. Tech Mahindra Ltd.; ii. Mahindra & Mahindra Ltd.	Nil	Nil
Shareholding of Director	4400 shares (Negligible % of holding)	Nil	Nil	Nil	Nil
Relationship between directors inter-se	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Terms and Conditions of Appointment/ Re-appointment	Terms and conditions for Appointment/Re-appointment of MD & CEO are as provided in Section 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the Bank, the Managing Director & CEO shall be entrusted with the management of the whole of the affairs of the Company, who shall not be liable to retire by rotation.	Terms and conditions for appointment of Non-Executive Director are as provided in Section 166 of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.	Terms and conditions for appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.	Terms and conditions for re-appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.	Terms and conditions for re-appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 and provisions of SEBI Listing Regulations.
Remuneration	Remuneration payable to MD & CEO would be as recommended by the NRC & Board and approved by the RBI for each Financial year.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.
Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable	Not Applicable	The NRC and Board of Directors of the Bank is of the opinion that Shri Manoharan is a person of integrity and his qualifications, Board Level experience and expertise, extensive knowledge and rich experience in the banking sector is in the interest of the Bank. Further, the board is of the view that Shri Manoharan possesses the required skills and capabilities, stated above, as identified and required for an Independent Director of the Bank	Based on their continuous past Performance of around 4 years on the Bank's Board and based on their performance evaluation, Shri Samarash Parida & Shri Jambunathan Narayanan are proposed to be re-appointed for second term as Independent Director.	
Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended)	(16/16)	(3/3)	(2/2)	(16/16)	(16/12)